



गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा

स्थानीय राजपत्र

खण्ड:- ०३ संख्या:- १ मिति:- २०७७/३/१०

भाग - १

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७

प्रस्तावना: गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वान्छ्यानीय भएकोले,

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८८ को उपधारा (२) बमोजिम गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

१. यस ऐनको नाम "गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७" रहेको छ ।
२. यो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गते देखि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
१. **सम्पत्ति कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूची (१) बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
२. **घर बहाल कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची (२) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाईने वा असुल गरिनेछ ।
३. **व्यवसाय कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असुल गरिनेछ ।
४. **जडिबुटी, कवाडी उ जीवजन्तु कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटोम जडिबुटीम वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिम कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
५. **पर्यटन शुल्क:** गाउँपालिका भित्र चिडियाखाना, उद्यान, पार्क ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा उपयोगको प्रवेश शुल्क बमोजिम निर्धारण र संकलन गरिनेछ ।

६. **सवारी साधन कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्र भित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा प्रदेश कानून बमोजिम सवारी साधन कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
७. **विज्ञापन कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (४) बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा अवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
८. **मनोरञ्जन कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्र भित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानून बमोजिम व्यवसाय कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
९. **बहाल बिटौरी कर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्र भित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका हाट बजार वा पसल वा सहकारी जग्गामा वनेको संरचनाको उपयोग वापत गाउँ कार्यपालिकाले वार्षिक प्रति वर्ग फिट रु ३ का दरले बहाल बिटौरी शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
१०. **पार्किङ शुल्क:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधन पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची (५) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
११. **ट्रेक्रिड, कोयोकिड, क्यानोईङ्ग, बञ्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र र्याफ्टिङ शुल्क:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेक्रिड, कोयोकिड, क्यानोईङ्ग, बञ्जी जम्पिङ, जिपफ्लायर र र्याफ्टिङ सेवा, प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय सञ्चालन गरे वापत गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
१२. **सेवा शुल्क दस्तुर:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची ६ मा व्यवस्था भए अनुसार सेवा शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।
१३. **दहत्तर बहत्तर शुल्क:** गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले प्रदेश नं. ३ को आर्थिक ऐन बमोजिम दहत्तर बहत्तर शुल्क संकलन गर्नेछ ।
१४. **कर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै किसिमको कर छुट दिईने छैन ।
१५. **कर शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची १

क) एकीकृत सम्पत्ति करको दर रेट

| सि.नं. | करयोग्य एकीकृत सम्पत्तिको मूल्य | वार्षिक दर रु |
|--------|---------------------------------|-----------------|
| १ | दश लाख सम्म | १०० |
| २ | दश लाख देखि विस लाख सम्म | ३०० |
| ३ | विस लाख देखि तिस लाख सम्म | ७५० |
| ४ | तिस लाख देखि ५० लाख सम्म | १५०० |
| ५ | पचास लाख देखि एक करोड सम्म | ४००० |
| ६ | एक करोड देखि दुई करोड सम्म | १५००० |
| ७ | पाँच करोड देखि भन्दा बढी | ४०००० |
| ८ | पाँच करोड भन्दा बढी | रु २ प्रति हजार |

ख) एकीकृत सम्पत्ति कर प्रयोजनको लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गर्दा मालपोत कार्यालय धुञ्चे, रसुवाले रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने प्रयोजनको लागि तोकेको दररेटलाई न्यूनतम मूल्य कायम गरिनेछ ।

ग) घर तथा संरचनाको मुल्याङ्कन निम्न अनुसार गर्ने ।

| क्षेत्र | संरचना प्रति वर्ग फिट रु. | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|-----|
| | आर.सि.सि.फ्रेम स्ट्रक्चर | | सिमेन्ट जोडाईमा आर.सि.सि. छाना | | माटोको जोडाईमा आर.सि.सि. वा सिमेन्ट जोडाईमा जस्ता वा टायलको छाना | | माटोको जोडाईमा जस्ता वा टायलको छाना | | सेड | | |
| | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | वसोवास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | वसोवास | |
| क | धुञ्चे, स्याफु, टिमु रे | १५०० | १२०० | १००० | ८०० | ८०० | ६०० | ६०० | ४०० | ४०० | २०० |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ख | अन्य क्षेत्र | १२० | १०० | ८०० | ६०० | ६०० | ४०० | ४०० | २०० | ३०० | १५० |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

- पुरानो घर तथा संरचनाको मूल्य कायम गर्दा एकमुष्ट रुपमा ३ वर्षको मुल्याङ्कित रकममा १० प्रतिशत हास कट्टी गरिने त्यसपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत हास कट्टी गरी मूल्य कायम गरिनेछ ।

अनुसूची - २

वाहल करको दर रेट

| क्र.सं. | विवरण | दर |
|---------|--|------------|
| १ | भवन, घर, पसल, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी भाडामा लगाए वापत वहाल कर | १० प्रतिशत |

अनुसूची ३

व्यवसाय करको दररेट

| क्र.सं. | व्यवसायको विवरण | | दर |
|---------|-------------------------|------------------------------------|------|
| १ | दैनिक उपयोग्य खाद्य पसल | पाँच लाख सम्मको पूँजीमा | १००० |
| | | पाँच देखि दश लाख सम्मको पूँजीमा | १५०० |
| | | दश लाख माथिको पूँजीमा | २००० |
| २ | मदिरा पसल | | १५०० |
| ३ | चुरोट बिन्डी सुर्तिजन्य | | १२०० |
| | | हल्का पेय पदार्थ | १२०० |
| | | सुनचाँदी पसल | २००० |
| ४ | औषधि पसल | | १२०० |
| ५ | माछा मासु विक्री पसल | | १५०० |
| | | आयुर्वेदिक पसल | १००० |
| ६ | एग्रोभेट पसल | | १२०० |
| ७ | स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल | | २००० |
| | | छपाई तथा प्रकाशन | २००० |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|-------|
| | कस्मेटिक पसल | | १२०० |
| ८ | मोटर पार्टस | | २००० |
| ९ | प्लाई र ग्लास | | २००० |
| | कपडा/फेन्सी/जुत्ता चप्पल र व्याग | | २००० |
| | ईलेक्ट्रोनिक पसल (मोवाईल, घडी, क्याल्कुलेटर, अडियो र भिडियो आदि) | | १५०० |
| १० | हार्डवेयर / मेशिनरी / स्यानिटरी / मार्बल पसल | | २५०० |
| ११ | फर्निचर | | २००० |
| १२ | सुकर तथा पुल हाउस | | १००० |
| १३ | क्यारेम बोर्ड | | ५०० |
| १४ | फलफूल / तरकारी पसल | | १२०० |
| १५ | उपहार / गिफ्ट र खेलौना पसल | | १२०० |
| १६ | भाडा पसल (स्टिल, प्लाष्टिक, आलमुनियम सबै थरी) | | २००० |
| १७ | पेन्टर साइनबोर्ड लेख्ने | | १२०० |
| १८ | निर्माण व्यवसायी | | ३००० |
| १९ | उत्पादनमूलक उद्योग | | |
| २० | ग्रील उद्योग | | १५०० |
| २१ | सिरक, डसना र उद्योग पसल | | १००० |
| २२ | होटल लज रेष्टुरेन्ट | होटल लज | ३००० |
| | | भोजनालय | १२०० |
| | | मिठाई पसल | १२०० |
| | | खाजा पसल | १२०० |
| | | चिया तथा खाजा नास्ता पसल | ६०० |
| २३ | सेवा उद्योग | | |
| २४ | सञ्चार | एफ.एम. प्रसारण | १००० |
| | | केबुल च्यानल प्रशारण / डिस होम | १५०० |
| | | फोटोकपी पि.सि.ओ. | १२०० |
| | | साइबर क्याफे | |
| | | कुरियर | ६०० |
| २५ | वित्तीय क्षेत्र | बैंक प्रति शाखा | १५००० |

| | | | |
|----|---------------------------------------|--|------|
| | | फाईनान्स कम्पनी प्रति शाखा | १८०० |
| | | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | १००० |
| | | मनी ट्रान्सफर | १२०० |
| | | लघु वित्त | १००० |
| २६ | स्वास्थ्य तथा विद्यालय संस्था | क्लिनिक तथा ल्याब | १२०० |
| | | माध्यमिक विद्यालय | २००० |
| | | आधारभूत विद्यालय | १२०० |
| | | प्राथमिक विद्यालय | ६०० |
| | | छात्रावास | १२०० |
| २७ | मर्मत सम्भार | टायर ट्युव मर्मत, रिसोलिड, हावा भर्ने | ६०० |
| | | टि.भि., फ्रिज, मोटर, पङ्खा, रेडियो, घडी, जेनेरेट, कम्प्युटर, मोबाइल (ईलेक्ट्रोनिक) | १२०० |
| | | मोटरसाईकल मर्मत | १२०० |
| | | बस, ट्याक्सी लगायतका सवारी साधन मर्मत | २००० |
| २८ | ड्राइक्लिनिक, व्युटी पार्लर तथा सैलुन | | ५०० |
| २९ | गैर सरकारी संस्थाहरु | राष्ट्रिय | ३००० |
| | | अन्तर्राष्ट्रिय | ६००० |

अनुसूची ४
विज्ञापन करको दररेट

| क्र.सं. | विवरण | दर |
|---------|---------------|-----------------------|
| १ | होर्डिङ बोर्ड | प्रति वर्ग फिट रु १०० |
| २ | भित्ते लेखन | प्रति वर्ग फिट रु ५० |
| ३ | पोल बोर्ड | प्रति गोटा रु १०० |

अनुसूची ५
पार्किङ शुल्कको दररेट

| क्र.सं. | विवरण | दर |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| १ | हेभी गाडी, बस, ट्रक, लरी, ट्रयाक्टर | प्रति दिन २००/-, प्रति घन्टा रु ३५/- |
| २ | जीप कार | प्रति दिन १००/-, प्रति घन्टा रु |

| | | |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| | | २५/- |
| ३ | मोटरसाईकल | प्रति दिन ५०/-, प्रति घण्टा रु ५/- |
| ४ | जरिवाना (जथाभावी पार्किङ) | प्रत्येक पटक रु २००/- |

अनुसूची ६
सेवा शुल्क दस्तुरको दररेट

| क्र.स. | विवरण | विस्तृत विवरण | दर | कैफियत |
|--------|---|-----------------------------|------|---------|
| १ | घरजग्गा नामसारी सिफारिस | ५ रोपनी सम्म | १०० | |
| | | ५ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म | १५० | |
| | | १० रोपनी देखि २० रोपनी सम्म | ३०० | |
| | | २० रोपनी देखि ५० रोपनी सम्म | ५०० | |
| | | ५० रोपनी भन्दा माथि | १००० | |
| २ | मोही लगत कट्टा सिफारिस | १ रोपनी सम्म | २०० | |
| | | १ रोपनी भन्दा माथि | ३०० | |
| ३ | घर कायम सिफारिस | सडकले छोएको पक्की घर | ५०० | |
| | | सडकले नछोएको पक्की घर | ३०० | |
| | | सडकले छोएको कच्ची घर | २०० | |
| | | सडकले नछोएको कच्ची घर | १०० | |
| ४ | सरजमिन सिफारिस दस्तुर | | २०० | |
| ५ | छात्रवृत्ति सिफारिस | | १०० | |
| ६ | विपन्न र असहाय विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस | | | निशुल्क |
| ७ | अपाङ्गता भएको सिफारिस | | | निशुल्क |
| ८ | अस्थाई बसोबास सिफारिस | | २०० | |
| ९ | स्थायी बसोबास | | ५०० | |
| १० | नागरिकता सिफारिस | बंशज | | निशुल्क |
| | | अंगिकृत | २०० | |
| ११ | विद्युत जडान सिफारिस | | २०० | |
| १२ | धारा जडान सिफारिस | | २०० | |

| | | | | |
|----|---|-------------|-----|---------|
| १३ | जिवित रहेको सिफारिस | | २०० | |
| १४ | दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने वा फरक संशोधन सिफारिस | | २०० | |
| १५ | व्यवसाय बन्द सिफारिस | | ५०० | |
| १६ | व्यवसाय सञ्चालन नभएको सिफारिस | | २०० | |
| १७ | व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस | | २०० | |
| १८ | कोर्ट फी मिनाहा | | | निशुल्क |
| १९ | नाबालक परिचयचय पत्र सिफारिस | | | २०० |
| २० | चौपाया सम्बन्धी सिफारिस | ठूलो चौपाया | | २०० |
| | | भेडा बाख्रा | | ३० |
| २१ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस | | | ५०० |
| २२ | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | | | १००० |
| २३ | विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस | | | ५०० |
| २४ | आन्तरिक बसाईसराई सिफारिस | | | २०० |
| २५ | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृत कक्षा वृद्धि र सिफारिस | | | २००० |
| २६ | व्यक्तिगत विवरण सिफारिस र नवीकरण सिफारिस | | | २०० |
| २७ | जग्गा दर्ता सिफारिस | | | १००० |
| २८ | संरक्षक सिफारिस व्यक्तिगत | | | २०० |
| २९ | संरक्षक सिफारिस संस्थागत | | | ५०० |
| ३० | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस | | | निशुल्क |
| ३१ | कोठा खोल्ने कार्य रोहवरमा वस्त्र सिफारिस | | | २०० |
| ३२ | स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस | | | निशुल्क |
| ३३ | संस्थागत दर्ता सिफारिस | | | ५०० |
| ३४ | जग्गाधनी पुर्जा हराएको सिफारिस | | | २०० |
| ३५ | नाता प्रमाणित | | | २०० |
| ३६ | आर्थिक अवस्था वलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित | | | ५००० |
| ३७ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित | | | १०० |

खण्ड ०३ संख्या ०१ स्थानीय राजपत्र भाग १ मिति २०७७/३/१०

| | | | |
|----|--|---------------------------------|------|
| ३८ | सम्पत्ति मुल्याङ्कन प्रमाणित | १५ लाख सम्मको मुल्याङ्कन | १००० |
| | | १५ लाख ५० लाख सम्मको मुल्याङ्कन | २००० |
| | | ५० लाख देखि माथिको मुल्याङ्कन | ४००० |
| ३९ | चार किल्ला प्रमाणित | | ५०० |
| ४० | जन्म मिति प्रमाणित | | २०० |
| ४१ | घर बाटो प्रमाणित | बाटो भएको | १००० |
| | | बाटो नभएको | ५०० |
| ४२ | विवाह प्रमाणित | | २०० |
| ४३ | कागज र मञ्जुरिनामा प्रमाणित | | २०० |
| ४४ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | | २०० |
| ४५ | घर सम्पन्न सिफारिस र प्रमाणित | पक्की | १००० |
| | | कच्ची | २०० |
| ४६ | अविवाहित प्रमाणित | | ५०० |
| ४७ | अपुताली सिफारिस | | १००० |
| ४८ | अन्य सिफारिस वा प्रमाणित | | २०० |
| ४९ | घर नक्सापास दस्तुर (भुकम्प पुननिर्माण अनुदान अन्तर्गत निर्माण हुने घरमा २५ प्रतिशत छुट | पक्की घर एकमुष्ट | ५ |
| | | कच्ची घर एकमुष्ट | ५०० |
| ५० | नक्सा पास दरखास्त किताब | | २०० |
| ५१ | सरसफाई शुल्क | मासिक | २०० |
| | | सरसफाई कार्ड | ५० |
| ५२ | जन्म दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क अन्यथा | ५० |
| ५३ | मृत्यु दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क अन्यथा | ५० |
| ५४ | बसाईसराई जाने आउने दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क अन्यथा | ५० |
| ५५ | सम्बन्ध विच्छेद दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क अन्यथा | ५० |
| ५६ | विवाह दर्ता | ३५ दिन भित्र भए निशुल्क अन्यथा | ५० |
| ५७ | नयाँ व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण | १ लाख सम्म | १००० |
| | | १ लाख देखि ५ लाख सम्म | २००० |
| | | ५ लाख देखि २० लाख | ५००० |

| | | सम्म | |
|----|-------------------------------|---------------------------------|-------|
| | | २० लाख देखि माथि | १०००० |
| ५८ | उजुरी दर्ता तथा मुद्दा दस्तुर | | २०० |
| ५९ | स्रोत परिचालन | हल भाडा प्रतिदिन | १००० |
| | | मल्टिमिडिया प्रति दिन | ५०० |
| | | कुर्सी भाडा प्रतिदिन प्रति गोटा | ५ |

संशोधित सम्पत्ति कर घर जग्गा करको दररेट

सम्पत्ति कर तथा भूमीकरको स्वीकृत दररेट (आ.व. २०७५/०७६)

१. सम्पत्ति कर अन्तर्गत घर तथा संरचना तर्फ

क) पासाडल्हामु राजमार्गसँग जोडिएको

- घडेरी प्रति आना रु ६० मात्र
- पक्की घर प्रति वर्ग फिट वार्षिक २० (बिस) पैसा मात्र ।

ख) सहायक सडकसँग जोडिएको

- घडेरी प्रति आना रु ४० (चालिस)
- पक्की घर प्रति वर्ग फिट वार्षिक रु १५ (पन्द्र) पैसा ।

ग) अन्य स्थान

- घडेरी प्रति आना रु २० (वीस मात्र)
- पक्की घर प्रति वर्ग फिट वार्षिक रु १० (दश) पैसा ।

घ) कच्ची घर प्रति वर्ग फिट वार्षिक रु १० (दश) मात्र ।

२. भूमीकर तर्फ

१. पासाडल्हामु राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा प्रति रोपनी रु २० (बीस) मात्र ।

२. सहायक सडकसँग जोडिएका जग्गा प्रति रोपनी रु १० (दश) मात्र ।

३. अन्य जग्गा प्रति रोपनी रु ५ (पाँच) मात्र ।

- कच्ची घरको हकमा घडेरी समेतमा भूमीकर लगाईनेछ ।
- आठ आना सम्मको जग्गामा सम्पत्तिकर र सो भन्दा बढी जग्गामा भूमीकर लाग्नेछ ।

आज्ञाले

देवीलाल सापकोटा

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत